2. बाढ़ पूर्व तैयारियाँ

राज्य के 28 जिलों में बाढ़ लगातार आने वाली आपदा है। अतः यह आवष्यक है कि इन जिलों में बाढ़ आपदा का सामना सुव्यवस्थित ढंग से करने हेतु बाढ़ पूर्व तैयारियॉ कर ली जाए। ऐसा होने से बाढ़ आने की दषा में त्वरित रिस्पौंस एवं राहत पहुंचाने में सहूलियत होगी एवं बाढ़ से जनता को होने वाली कठिनाईयों को कम किया जा सकेगा। अतएव बाढ़ पूर्व तैयारियों के संबंध में निम्न कार्रवाईयॉ की जाएगी **(चेकलिस्ट अनुलग्नक 4 पर संलग्न)**।

2.1 वर्षा मापक यंत्रों की मरम्मति

सभी बाढ़ग्रस्त जिलों में प्रखंड परिसर में वर्षा मापक यंत्र अधिष्ठापित किये गये हैं। जहां जिन प्रखंडों में वर्षा मापक यंत्र अधिष्ठापित नहीं हैं, वहां उन यंत्रों को अधिष्ठापित कराया जाएगा। परन्तु ऐसा नहीं हो पाने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। सभी वर्षा मापक यंत्रों का निरीक्षण प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा कर यह सुनिष्चित किया जाएगा कि सभी यंत्र कार्यरत हों । जहां यंत्रों के मरम्मति की आवष्यकता होगी, वहां मरम्मति करा कर यंत्रों को चालू हालत में रखा जाएगा।

2.2 वर्षापात ऑकड़ों का प्रेषण

1ली जून से प्रारम्भ कर प्रतिदिन 8.00 बजे सुबह से अगले दिन 8.00 बजे सुबह तक के वर्षापात के ऑकड़ों को उसी दिन सुबह 9.00 बजे तक संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एस0एम0एस0 से अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी को भेज देंगे। तत्पष्चात वर्षापात के ऑकड़ों का प्रतिवेदन ई–मेल/फैक्स अथवा वायरलेस के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी को भेजा जाएगा। जिला पदाधिकारी अपने जिला के वर्षापात के ऑकड़ों का समेकन कर उसी दिन 12.00 बजे मध्याहन् तक आपदा प्रबंधन विभाग/जल संसाधन विभाग एवं कृषि विभाग तथा भारतोय मौसम विभाग पटना को **फैक्स/ई–मेल से भेजना सुनिश्चित करेंगे।** वर्षापात के ऑकड़ों का प्रेषण 1ली जून से प्रारंभ कर 15 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से किया जाता रहेगा।

2.3 बाढ़ से प्रभावित होने वाले संभावित क्षेत्रों एवं संकटग्रस्त व्यक्ति समूहों की पहचान एवं नजरी नक्शा तयार करना

पंचायत स्तरीय बाढ़ राहत अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति के सहयोग से बाढ़ से प्रभावित हो सकने वाले संभावित गॉवों/टोलो की पहचान कर ली जाएगी। इसी प्रकार बाढ़ से प्रभावित हो

सकने वाले नगरीय वार्डों आदि की पहचान वार्ड स्तर पर गठित उपरोक्त समिति के सहयोग से कर ली जाएगी।

- बाढ प्रवण क्षेत्रों की पहचान करते समय पूर्व के इतिहास/अनुभवों का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए पंचायत /वार्ड स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की जायेंगी जहां ग्रामीणों के सहयोग से समिति द्वारा अपनी पंचायत के गाँवों के संबंध में सूचनाएँ इकटठा की जाएंगी।
- समिति के सहयोग से गरीब परिवारों, निराश्रितों, निःषक्त जनों, बीमार व्यक्तियों आदि, जो बाढ़ आने की दषा में सर्वाधिक कठिनाई का सामना करते हैं, की पहचान की जायेगी।
- बाढ़ से प्रभावित स्थलों की सूचनाआ को समेकित कर प्रखंड स्तरीय समिति के सहयोग से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी द्वारा प्रखंड स्तर पर बाढ़ से प्रभावित होने वाले संभावित क्षेत्रों तथा संकटग्रस्त व्यक्ति समूहों की सूची तैयार की जाएगी।
- तद्नुसार प्रत्येक प्रखंड के लिए बाढ़ से प्रभावित संभावित क्षेत्रों का नजरी नक्षा तैयार कर लिया जाएगा। इस नक्षे में बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्र, उँचे स्थल, सरकारी भवन, अस्पताल, प्रखंड मुख्यालय, राजमार्ग आदि सभी स्पष्ट रूप से दर्षाये जाऐगे । इस प्रकार तैयार नक्षे में भौगोलिक निदेषांक (Geographical Co-ordinates) भी अंकित किए जाएं, ताकि खोज, राहत एवं बचाव कार्य में संलग्न कर्मियों /राष्ट्रीय आपदा रिस्पांस फोर्स (एन0डी0आर0एफ0)/राज्य आपदा रिस्पांस फोर्स (एस0डी0आर0एफ0)/ गैर सरकारी संस्थाओं के स्वयं सेवकों आदि को निर्दिष्ट स्थल पर पहुंचने में कोई कठिनाई न हो। सभी कार्रवाईयॉ अधिकतम 15 जून तक पूरी कर ली जाएगी।
- ऑगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से ग्राम स्तर पर गर्भवती महिलाओं तथा धातृ माताओं की पहचान कर ली जाएगी। तद्नुसार प्रत्येक प्रखंड में इसकी सूची बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के स्तर पर तयार की जाएगी। बाल विकास परियाजना पदाधिकारी इस सूची की एक प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे जो बाढ़ आने की दषा में मोबाईल मेडिकल टीमों को यह सूची उपलब्ध करा देंगे। ऐसा होने से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में निवास करने वाली गर्भवती महिलाओ एव धातृ माताओं के स्वास्थ्य की बेहतर देख–भाल करने में सुविधा हो सकेगी।

2.4 संसाधन मानचित्रण :–

पंचायत/प्रखंड स्तरीय समितियों के सहयोग से बाढ़ से निपटने के लिए गॉव/पंचायतों/प्रखंडों में उपलब्ध संसाधनों की सूची तैयार की जाएगी। जिन संसाधनों की सूची तैयार की जाएगी उनमें प्रमुख संसाधन निम्न होंगेः–

(a) अंचल क्षत्र में उपलब्ध निजी नावें

जो निजी नावें उपलब्ध होगी उनके नाविकों/मालिकों के साथ इस आषय का एकरारनामा कर लिया जाएगा ताकि आवष्यकता पड़ने पर उन्हें जिले अथवा जिले के बाहर किसी भी क्षेत्र म साहाय्य कार्य के लिए भेजा जा सकता है। साथ ही निजी नावों को देय भाड़े का निर्धारण भी करा लिया जाएगा। निजी नावों को देय भाड़े की दरों का निर्धारण एवं नाविकों की मजदूरी संबंधी निदेष कमषः विभागीय पत्रांक 3438 दिनांक 17.11.09 एवं पत्रांक 2272 दिनांक 26.7.07 द्वारा निर्गत है। **अनुलग्नक 5(क) एवं 5(ख)** पर संलग्न है।

(b) पुराने सरकारी नावों की मरम्मति

प्रखंड़/अंचल में उपलब्ध सभी पुरानी सरकारी नावों की गहनी/मरम्मति 15 जून तक पूरी कर इन नावों को परिचालन योग्य बनाया जाएगा। जो नाव परिचालन योग्य नहीं बनायी जा सकती उन्हें निर्धारित प्रकिया अपना कर उनका अपलेख कर दिया जाएगा।

(c) नई सरकारी नावों का निर्माण

जिन जिलों को नई नावों के निर्माण हेतु आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राषि भेजी गयी हो वे जिले अधिकतम 15 जून तक नई नावों का निर्माण करा लेंगे। सरकारी नावों के परिचालन हेतु नाविकां की पहचान कर उनका निबंधन 15 जून तक कर लिया जायेगा।

(d) जेनरेटर सेट/पेट्रोमेक्स/टेन्ट/महाजाल आदि की उपलब्धता

बाढ़ के समय जेनरेटर सेट/ पेट्रोमेक्स/टेन्ट/महाजाल /लाईफ जैकेट की आवष्यकता पड़ती है। अतएव प्रखंड/जिलों में इन संसाधनों की उपलब्धता का आकलन कर आपूर्तिकर्त्ताओं की सूची बना ली जाएगी ताकि आवष्यकता पड़ने पर उनसे तुरंत सम्पर्क स्थापित किया जा सके। साथ ही साथ इनका भाड़ा दर निर्धारित कर लिया जाएगा। दर निर्धारण संबंधी प्रकिया विभागीय पत्रांक 1504 दिनांक 1.9.05 द्वारा निर्गत है । **अनुलग्नक 6 पर संलग्न।**

(e) राज्य खाद्य निगम के गोदामों मैं खाद्यान्न की उपलब्धता

राज्य खाद्य निगम के गोदामों में कितना खाद्यान्न उपलब्ध है इसका आकलन कर लिया जाएगा ताकि आवष्यक होने पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सहमति से इनका उपयोग किया जा सके। इसके लिए राज्य खाद्य निगम के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर ली जाएगी तथा संभावित बाढ़ के पूर्व ही आवष्यकतानुसार खाद्यान्न का भंडारण सुनिष्चित कराया जाएगा। राज्य खाद्य निगम का पूर्व से लंबित बकाये का भुगतान शीघ्र कर दिया जाएगा।

(f) सत्तू/नमक/चूड़ा/गुड/मोमबत्ती/दियासलाई/किरासन तेल आदि की उपलब्धता का आकलन, दर निर्धारण एवं अन्य व्यवस्थाएँ

- बाढ़ आने की दषा में बाढ पीड़ितों को तुरंत राहत पहुँचाने हेतु सूखा खाद्य यथा– चूड़ा/गुड़/सत्तू/नमक आदि की आवष्यकता उत्पन्न हो सकती है। इसी प्रकार मोमबत्ती/दियासलाई/किरासन तेल आदि की भी आवष्यकता हो सकती है। अतएव बाजार में चूड़ा, गुड़, सत्तू, नमक, दियासलाई, मोमबत्ती आदि की उपलब्धता का आकलन कर निविदा के माध्यम से दर निर्धारित कर ली जाएगी ताकि आवष्यकता पड़ने पर इनकी उपलब्धता में विलम्ब न हो। दर निर्धारण संबंधी पकिया विभागीय पत्रांक 1504 दिनांक 1.9.05 द्वारा निर्गत है। **अनुलग्नक–6 पर संलग्न।**
- इन सामग्रियों का पैकेट तैयार करने हेतु जिला/प्रखंड स्तर पर टीम गठित कर ली जाएगी।
- जन वितरण प्रणाली की दूकानों में किरासन तेल के उठाव एवं उपलब्धता का आकलन कर लिया जाएगा ताकि आवष्यकता होने पर बाढ़ पीड़ितों को उसे भुगतान के आधार पर उपलब्ध कराया जा सके।

(g) पॉलीथोन शीटों का क्रय

बाढ आने की दषा में बाढ़ प्रभावितों को वर्षा एवं धूप से बचाने के लिए पॉलीथीन शीटों की आवष्यकता पड़ती है। अतएव पॉलीथीन शीटों के आकलन के अनुसार इनका क्रय कर पर्याप्त मात्रा में भंडारण कर लिया जाएगा। पॉलीथीन शीटों के क्रय की प्रक्रिया विभागीय पत्रांक 1495 दिनांक 13.6.08 एवं पत्रांक 210(प्र0) दिनांक 15.6.09 द्वारा निर्गत है। **अनुलग्न 7 (क) एवं 7 (ख) पर संलग्न** । केन्द्रीय क्रय संगठन (डी0जी0एस0 एण्ड डी0) द्वारा संवेदित दर पर पॉलीथोन शीटों का क्रय बिहार वित्त (संषोधन) नियमावली, 2005 के नियम 131 ङ(131 E) के अनुसार किया जा सकता है।

(h) मानव दवा की उपलब्धता

बाढ आने की दषा में विभिन्न तरह की जल–जनित बीमारियों से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की जनता रोगग्रस्त हो जाती है। सांप काटने की घटनाएँ भी काफी संख्या में होने लगती हैं। अतएव सुनिष्चित किया जाएगा कि जिला अस्पतालों / अनुमंडल एवं रेफरल अस्पतालों/प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र एवं प्राथमिक चिकित्सा उप केन्द्रों में पर्याप्त मात्रा में हेलोजन टैबलेट,क्लोरीन टैबलेट दवाईयॉ तथा सांप काटने की सुई उपलब्ध हो। डायरिया की रोक–थाम के लिए ओ0आर0एस0 घोल की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाएगी। ब्लीचिंग पाउडर का भी भंडारण रखा जाएगा।

(i) पशु दवा की उपलब्धता

बाढ़ के दौरान पषु विभिन्न प्रकार की बीमारियों के षिकार हो जाते हैं। अतएव पषु चिकित्सा हेतु आवष्यक दवाईयों की उपलब्धता का आकलन पषुपालन विभाग के संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक कर तैयार कर लिया जाएगा यदि दवा की कमी होगी तो आवष्यकता अनुसार पषु संसाधन एवं मत्स्य विभाग द्वारा दवा की उपलब्धता सुनिष्चित की जाएगी।

(j) पशु चारे की उपलब्धता

बाढ़ के समय पषु चारे की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अतएव पषुपालन विभाग के पदाधिकारियों के साथ पषु चारे की उपलब्धता का आकलन कर लिया जाएगा तथा आवष्यकतानुसार पषु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर एक जिले से दूसरे जिले अथवा राज्य के बाहर से चारा मंगाने की व्यवस्था की जाएगी। पषु चारा भंडारण हेतु आवष्यक व्यवस्था जिला पषुपालन पदाधिकारी द्वारा की जाएगी।

(k) खाद्यान्न के संधारण हेतु गोदामों का चिन्हिकरण

ऐसा देखा जाता है कि बाढ़ के दौरान मुफ्त खाद्यान्न के वितरण के समय खाद्यान्नों को दूर दराज के क्षेत्रों में ले जाने की आवष्यकता पड़ती है। चूँकि बाढ़ के समय सड़कें क्षतिग्रस्त रहती हैं, अतएव खाद्यान्न के परिवहन में कठिनाई आ सकती है। अतएव पंचायत/प्रखंड स्तरों पर ऐसे सरकारी/निजी भवनों की पहचान कर ली जाएगी जिन्हें मुफ्त खाद्यान्न वितरण हेतु खाद्यान्नों के गोदाम के रूप में व्यवहार में लाया जा सके। ऐसे गोदामों में बाढ़ के पूर्व आवष्यकतानुसार खाद्यान्न के भंडारण हेतु राज्य खाद्य निगम के पदाधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए उन गोदामों का जहां फुडग्रेन बैंक(अनाज बैंक) के रूप में खाद्याान्न

का भंडारण हो रहा हो, उपयोग में लाया जाएगा। गोदामों का चिन्हिकरण अधिकतम 15 जून तक अचूक रूप से कर लिया जाएगा।

2.5 नाविकों/नावों के लंबित मजदूरी/ भाड़े का भुगतान

हर हाल में बाढ़ आने के पूर्व गत वर्षों के व्यवहार में लाये गये नावों के नाविकों की मजदूरी एवं निजी नावों के भाड़े का भुगतान कर दिया जाएगा। इस कार्य को विषेष प्राथमिकता के साथ सम्पादित किया जाएगा।

2.6 खोज, बचाव एवं राहत दलों का गठन

जिलों में आपदा प्रबंधन विभाग एवं यू0एन0डी0पी0 समर्थित कार्यक्रमों के अन्तर्गत बाढ़ के समय ''खोज एवं बचाव'' तथा ''बचाव एवं राहत'' आदि कार्यों के लिए जिला पुलिस/होमगार्ड तथा समुदाय के लोगों को प्रषिक्षित किया गया है। इनमें से कई व्यक्ति गोताखोरी में प्रषिक्षित हैं जिनका उपयोग बाढ़ में डूब रहे व्यक्तियों को बचाने के लिए किया जा सकता है। इसी प्रकार बाढ़ के दौरान स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों को मदद पहुंचाने के लिए भी प्रषिक्षण दिया गया है। बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों के प्राथमिक उपचार आदि के लिए भी प्रषिक्षण दिया गया है । ऐसे प्रषिक्षित मानव संसाधन का डाटाबेस जिला और राज्य स्तर पर तैयार किया गया है। आवष्यकतानुसार इस डाटाबेस में सभी का पूर्ण पता, दूरभाष एवं मोबाइल संख्या आदि अंकित कर इसे अपडेट कर लिया जाएगा एवं खोज एवं बचाव/बचाव एवं राहत/ प्रथमिक उपचार टीमों का गठन कर लिया जाएगा ताकि आवष्यकता पड़ने पर इनका उपयोग हो सके।

2.7 शरण स्थलों की पहचान

प्रायः यह देखा गया है कि बाढ़ आने पर प्रभावित परिवार तटबंध अथवा उॅचे स्थलों / सड़कों/बांधों के किनारे शरण लेते हैं । अतएव संभावित शरण स्थलों को पूर्व से ही चिन्हित कर लिया जाएगा। यह शरण स्थल उॅचे स्थानों पर स्कूल भवन, पंचायत भवन अथवा अन्य उॅचे भवन हो सकते हैं । उॅचे शरण स्थलों की सूची अधिकतम 15 जून तक संकलित कर ली जाएगी और उसका संचार माध्यमों से प्रचार किया जाएगा। बांध अथवा सड़क के किनारे जहां लोग अमूमन शरण लेते हैं वहां पूर्व से आवष्यक तैयारी रहनी चाहिए। ऐसे चिन्हित स्थलों पर पेय जल की व्यवस्था यदि न हो तो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा Highhead चापाकल गाड़ा जाएगा। साथ ही वहां पर मेडिकल कैम्प लगाने एवं अस्थायी शौचालय की व्यवस्था हेतु स्थल चिन्हित कर लिया जाएगा। अति बाढ़ प्रवण जिलों में कोसी प्रलय की ही

भांति मेगा षिविर लगाने हेतु स्थानों का चयन पूर्व से कर लिया जाएगा ताकि आपातकालीन स्थिति के समय मेगा षिविर लगाया जा सके।

2.8 क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों की प्रतिनियुक्ति

बाढ़ से प्रभावित होने वाले संभावित स्थानों की पहचान करने के उपरान्त बाढ़ प्रवण अंचलों में क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति 15 जून के पूर्व ही सुनिष्चित कर ली जाएगी। क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों का सुपरिभाषित उत्तरदायित्व सौंपे जाएगें। इनका उत्तरदायित्व बाढ़ प्रभावित परिवारों एवं बाढ़ में क्षतिग्रस्त घरों की सूची पंचायत स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति के सहयोग से तैयार करना, राहत वितरण ,नावों के परिचालन का पर्यवेक्षण तथा आबादी के निष्क्रमण कार्यों का समन्वय करना होगा । इस संबंध में जिला पदाधिकारी विस्तृत निदेष अपने स्तर से निर्गत करेंगे। क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों के साथ उनकी सहायता के लिए अन्य सरकारी कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया जाएगा ताकि टीम के रूप में प्रभावित क्षेत्रों में काम हो सके। क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों की टीम में खोज/बचाव एवं राहत दलों के स्थानीय प्रषिक्षित सदस्यों को रखा जाएगा और क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों द्वारा अपना कम्यूनिकेषन प्लान तैयार रखा जाएगा। कम्युनिकेषन प्लान में निम्न सूचनाएँ अवष्य रखी जाएगीः

(i) क्षेत्र के अन्तर्गत आनेवाली पंचायतों के मुखिया/पंचायत सचिव/राजस्व कर्मचारी/ग्राम पंचायत के सदस्यों के नाम, पते एवं दूरभाष/मोबाइल संख्या।

(ii) क्षेत्र के अंतर्गत आनेवाली पंचायतों के सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, गणमान्य व्यक्तियों एवं स्थानीय नेहरू युवा केन्द्र के सदस्यों एवं स्वैच्छिक संस्थाओं आदि, जिनका सहयोग बाढ़ राहत में लिया जा सकता हो, के नाम, पते, दूरभाष एवं मोबाइल संख्या।

(iii) क्षेत्र के अंतर्गत आनेवाली पंचायतों में गठित पचायत राहत अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति के सदस्यों के नाम, पते, दूरभाष एवं मोबाइल संख्या।

(iv) जिला पदाधिकारी/आरक्षी अधीक्षक/अंचल अनुमण्डल एवं जिला नियंत्रण कक्ष/ स्थानीय थानाध्यक्षों/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं जल संसाधन विभाग के स्थानीय अभियंताओं आदि के दूरभाष एवं मोबाइल संख्या।

(v) राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक/गोदाम प्रबंधक/सहायक गोदाम प्रबंधक/ज0वि0प्र0 के बिक्रेताओं आदि के नाम, पते एवं दूरभाष/मोबाइल संख्या।

(vi) स्थानीय खोज एवं बचाव/राहत एवं बचाव दल के सदस्यों के नाम, पते एवं दूरभाष/मोबाइल संख्या।

(vii) नावों के परिनियोजन की आकस्मिक योजना संबंधी जानकारी।

2.9 तटबंधों की सुरक्षा

जिलों में तटबधों तथा जमींदारी बांधों की मरम्मति एवं सुदृढ़ीकरण के सभी स्वीकृत कार्य 15 जून तक पूरे कर लिए जाएगें। जिला पदाधिकारी द्वारा इन सभी कार्यों की निरन्तर समीक्षा एवं पर्यवेक्षण किया जाएगा। जल संसाधन विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के अभियंता इस कार्य में जिला प्रषासन के साथ पूर्ण सहयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त जिला पदाधिकारी तटबंधों के आक्राम्य एवं संवेदनषील स्थलों की पहचान तथा ऐसे स्थलों को बाढ़ के दौरान टूटने से बचाने के लिए आवष्यक संसाधनों की उपलब्धता का भी आकलन करेंगे। तटबंधों के आक्राम्य एवं संवेदनषील स्थलों पर आवष्यकतानुसार खाली बोरा, लोहे की जाली, बोल्डर आदि को व्यवस्था रखी जाएगी ताकि आवष्यकता पड़ने पर तटबंध सुरक्षा का कार्य तुरत किया जा सके। जल संसाधन विभाग द्वारा तटबंधों की सुरक्षा के लिए गृह रक्षा वाहिनी के जवानों की तैनाती एवं अन्य आवष्यक कार्यों के संबंध में विभागीय पदाधिकारियों को अलग से विस्तृत दिषा निर्देष दिये जाऐंगे।

2.10 सड़कों की मरम्मत

बाढ़ के पूर्व जिलों की मुख्य सड़कों, खासकर जिला मुख्यालय को अंचल से जोड़नेवाली सड़कों की मरम्मति कर ली जाएगी। ताकि राहत सामग्रियों को पहुँचाने में सुविधा हो सके। साथ ही पुल–पुलियों की भी मरम्मति कर उन्हें यातायात के लिए सुगम बना दिया जाएगा।

2.11 नोडल पदाधिकारी का नॉमिनेशन

जिला, अंचल एवं पंचायत स्तर पर बाढ़ राहत कार्य हेतु नोडल पदाधिकारी नामित कर उनका नाम, पता, दूरभाष, मोबाईल संख्या एवं फैक्स संख्या आदि जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र /जिला नियंत्रण कक्ष में रखी जाए तथा उसकी प्रति आपदा प्रबंधन विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी। जिला पदाधिकारी द्वारा नोडल पदाधिकारियों को उनके कार्यों के संबंध में प्रषिक्षित कर दिया जाएगा ताकि वे अपने उत्तरदायित्व से पूर्णरूपेण अवगत हो सकें।

2.12 आपातकालीन संचालन केन्द्र/नियंत्रण कक्ष को कार्यरत करना

आपदा प्रबंधन विभाग एवं सभी बाढ़ प्रवण जिलों में आपातकालीन संचालन केन्द्र स्थापित किये गये है। बाढ़ आने के पूर्व ही इन केन्द्रों के लिए आवष्यक सामग्रियों की व्यवस्था एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर ली जाएगी ताकि बाढ़ आते ही ये केन्द्र स्वतः कार्यरत हो सके। इसी प्रकार अनुमंडल एवं अंचल स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष स्थापित करने हेतु पूर्व तैयारियॉ कर ली

जायेंगी ताकि बाढ़ आते ही नियंत्रण कक्ष अहर्निष (24 x 7) कार्यरत हो सके। आपातकालीन संचालन केन्द्र/नियंत्रण कक्ष में आवष्यकतानुसार वाहनों, दूरभाष, मोबाईल, खोज बचाव एवं राहत दलों आदि की व्यवस्था रहेगी ताकि आवष्यक होन पर उनका उपयोग किया जा सके।

2.13 संचार योजना (Communication Plan)

- जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं बाढ़ से जुड़े सभी विभागों के जिला स्तर से प्रखंड स्तर तक के पदाधिकारी अपने कार्यालय एवं आवासीय दूरभाषों को चालू हालत में रखेंगे। जिला स्तर पर सभी संबंधित पदाधिकारियों/विभागों की दूरभाष निर्देषिका (Telephone Directory) बना ली जाएगी। दूरभाष निर्देषिका में जन प्रतिनधियों, आवष्यक सेवाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों आदि के दूरभाष/मोबाइल संख्या को भी सम्मिलित कर लिया जाएगा ताकि उसका उपयोग बाढ़ के समय हो सके। इसी प्रकार पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस वायरलेस सिस्टम की जांच कर ली जाएगी कि वह चालू स्थिति में है अथवा नहीं । चालू स्थिति में न रहने पर उसे ठीक करवा लिया जाएगा ताकि बाढ़ के समय उसका उपयोग हो सके।

- जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जिला पदाधिकारी द्वारा यह व्यवस्था कर ली जाएगी कि जिले से प्रवाहित होने वाली नदियों के जल स्तर की सूचना मॉनसून की वर्षा प्रारंभ होने के उपरान्त प्रतिदिन एक सुनिष्चित समय पर प्राप्त हो । संबंधित नदियों क जल ग्रहण क्षेत्र में होने वाले वर्षापात की सूचना जल संसाधन विभाग के पदाधिकारी जिला पदाधिकारी को नियमित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
- यह व्यवस्था कर ली जाएगी कि जिले में बाढ़ आने की सूचना जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र/जिला नियंत्रण कक्ष/जिला पदाधिकारी एवं राज्य सरकार को नियमित रूप से प्राप्त हो सके। सूचना प्राप्त होने पर जिला पदाधिकारी एवं राज्य सरकार द्वारा क्रमषः जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय संबंधित विभागों को आवष्यक कार्रवाई हेतु निदेषित किया जाएगा। सूचना प्रवाह निम्न अनुसार होगाः–

अंचल/अनुमंडल नियंत्रण कक्ष	समुदाय/क्षेत्रीय पर्यवेक्षक/अंचल/अनुमंडल स्तरीय संबधित विभाग/स्थानीय खोज, बचाव राहत दल

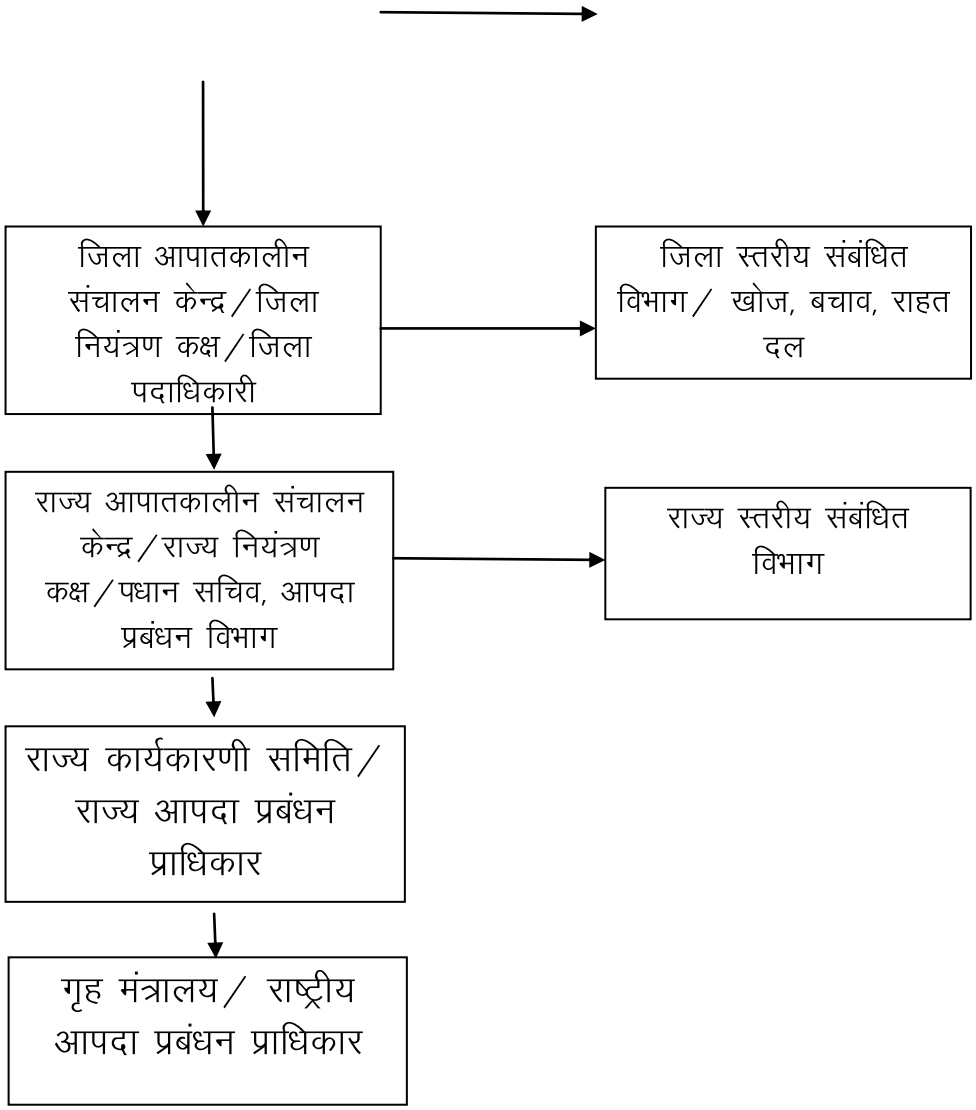

- जिला पदाधिकारी मॉनसून की वर्षा तथा बाढ़ के संबंध में निम्न बेबसाइट से भी सूचना प्राप्त करते रहेंगे। इसके लिए एन0आई0सी0 के जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी जाएगीः
- **Meteorological Forecasting Division- Govt. of Nepal http://www.mfd.gov.np/**
- **Central Water Commission of India http://www.india-water.com/**
- **Water Resources Department, Govt. of Bihar http://wrd.bih.nic.in**
- **Indian Meterological Department http://www.imd.gov.in and www.mousam.gov.in**

- **Disaster Management Department, Govt. of Bihar http://disastermgmt.bih.nic.in/**
- **Ganga Flood Control Commission, Patna,Ministry of Water Resources, Govt. Of India http://gfcc.bih.nic.in/**
- **National Informatics Centre- Weather Resource System for India- <http://weather.nic.in/>**
- **Weather forecast for Nepal http://www.mfd.gov.np/**
- **Weather forecast for Bihar from Yahoo http://weather.yahoo.com/india/bihar/bihar-2274908/**
- **Flood Management Information System,Bihar http://www.fmis.bih.nic.in/**

2.14 नावों /लाइफ जैकेट/मोटर बोट के परिनियोजन (Deployment) की आकस्मिक योजना

बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में नावों की आवष्यकता पडती है। अतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नावों के परिनियोजन की आकस्मिक योजना बना ली जाएगी। स्थितियों के अनुरूप इस योजना में बदलाव किया जा सकता है। पहले से आकस्मिक योजना रखने का लाभ यह होगा कि बाढ़ आते ही उस क्षेत्र में नाव तुरत उपलब्ध करा दी जाएँ। ये नावे निजी/सरकारी अथवा दोनों हो सकती है। इसके अतिरिक्त लाइफ जैकेटों एवं मोटर बोटों के परिनियोजन की भी आकस्मिक योजना तैयार रखी जाएगी ताकि आवष्यकतानुसार आबादी निष्क्रमण एवं बचाव कार्यों में उनका परिनियोजन किया जा सके।

2.15 जिला एवं राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन

जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में बाढ़ से जुड़े हुए सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों का टास्क फोर्स गठित कर लिया जाएगा। इसी प्रकार राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य टास्क फोर्स गठित कर लिया जाएगा। जिला टास्क फोर्स की बैठकों में केन्द्र सरकार के दूरसंचार विभाग के स्थानीय पदाधिकारी तथा केन्द्रीय जल आयोग के स्थानीय पदाधिकारी, यदि कोई हो, को भी आमंत्रित किया जाएगा। जिला टास्क फोर्स के सदस्य के रूप में कृषि विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/पुलिस विभाग/पषु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/स्वास्थ्य विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/समाज कल्याण विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/पथ

निर्माण विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/मानव संसाधन विभाग/सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेषालय/सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग/उर्जा विभाग/वन एवं पर्यावरण विभाग/बिहार राज्य विद्युत बोर्ड एवं बिहार राज्य खाद्य निगम के जिला स्तरीय पदाधिकारी होंगे। जिले में आपदा प्रबंधन कार्य के प्रभारी अपर समाहर्त्ता जिला टास्क फोर्स के संयोजक हाँगे। इसी प्रकार राज्य टास्क फोर्स में कंडिका 1.3 पर अंकित विभागों एवं एजेन्सियों के सचिव/प्रधान सचिव /वरीयतम पदाधिकारी सदस्य होंगे तथा आपदा प्रबंधन विभाग के विषेष सचिव/सचिव/प्रधान सचिव सदस्य–संयोजक रहेंगे। टास्क फोर्स द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा एवं बाढ़ आने की दषा में राहत एवं बचाव के सम्पूर्ण कार्यों का अनुश्रवण किया जाएगा।

2.16 आकस्मिक फसल योजना का सूत्रण

कृषि विभाग द्वारा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए आकस्मिक फसल योजना बना ली जाएगी। इस योजना में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में धान की फसल/बिचड़ों की क्षति होने पर बिचड़े उपलब्ध कराने एवं वैकल्पिक फसल उगाने की योजना शामिल होगी।

2.17 संबंधित विभागों द्वारा आकस्मिक योजना का सूत्रण

कंडिका 1.3 पर अंकित विभागों द्वारा अपने विभाग से संबंधित बाढ़ आपदा प्रबंधन की राज्य एवं जिला स्तर पर आकस्मिक योजना बना ली जाएगी ।

2.18 समुदाय एवं अन्य साझेदारों (Stakeholders) का प्रशिक्षण

बाढ़ आपदा आने की स्थिति में समुदाय एवं पुलिस थाना पहला रिस्पांडर (Responder) होता है। अतएव आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राहत, खोज एवं बचाव कार्यों में समुदाय एवं अन्य साझेदारा की क्षमता निर्माण हेतु प्रषिक्षण आयोजित किये जाते रहेंगे। इन प्रषिक्षणों में देने एवं दिलाने में बिहार राज्य नागरिक परिषद् की ईकाइयों की भी भागीदारी सुनिष्चित की जाएगी।